कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2024/ 642 दिनांक : 16.03.2024

-:: आदेश ::-

निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.03.2024 को घोषित चुनाव कार्यक्रम अनुसार जोधपुर आयुक्तालय में लोकसभा आम चुनाव 2024 होने जा रहे है। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में चुनाव के दौरान् राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारण यंत्रों का **तीव्र ध्वनि** से एवं अनियमित रूप से उपयोग किये जाने की प्रबल सम्भावना है, जिससे जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र का वातावरण अशान्त होकर नागरिकों को असुविधा सम्भावित है।

लोकहित में यह आवश्यक हैं कि इस प्रकार के अनावश्यक शोर-शराबे पर समय रहते पाबन्दी लगाई जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों यथा लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर, जनरेटर्स एवं भारी शोर वाले पंटाखों का प्रयोग स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है, परन्तु प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान् ध्वनि विस्तारक यंत्रों का **तीव्र ध्वनि** एवं अनियमित रूप से प्रयोग को प्रतिबन्धित करना आवश्यक है।

अतः मैं शरद चौधरी, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम 2000 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्न आदेश पारित करता हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों (अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों) के आस-पास शांतिमय वातावरण बनाये रखने हेतु -

1. कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक, व्यावसायिक जनहित अथवा निजी मनोरंजन हेतु साउंड एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी एवं संबंधित की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेंगे।

2. कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, व्यक्ति एवं संस्थान चुनाव प्रचार, मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिए भी रेडियों/ ट्राजिंस्टर/ टेपरिकार्डर/ माईक्रोफोन/ स्टीरियों/ ग्रामोफोन आदि उपकरण तीव्र ध्वनि से नहीं बजाऐंगे।

3. चुनाव के दौरान् राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव के प्रचार हेतु उपयोग में लेने वाले समस्त प्रकार के वाहनों (जैस- कार, जीप, टैक्सी, टैम्पों वगैरा) के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. कोई भी बस, सिटीबस, टैम्पों, टैक्सी, ट्रक, कार चालक आदि अपने वाहनों को तेज गति बनाये रखने हेतु लम्बी दूरी से लम्बे समय तक एयर -कम्प्रेशर हार्न आदि का लांगटर्म उपयोग नहीं करेंगे।

0291-2650900 ☎, 2650903, dsbjdrc@gmail.com, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर- 342001

5. उक्त प्रतिबंध जोधपुर महानगरीय क्षेत्र (आयुक्तालय) में पूर्ण रूप से लागू होगा।

यह आदेश सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय में तुरन्त प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति/संस्थान अथवा अन्य संबद्ध के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा कोलाहल में प्रयुक्त यंत्रों को जब्त सरकार किया जा सकेगा। संबंधित पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त व थानाधिकारीगण आदेश की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर

(शरद चौधरी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, जोधपुर
पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जोधपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अति. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इंटेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, एस.एस.बी. जोन, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर शहर/ग्रामीण।

प्रतिलिपिः निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. पुलिस उपायुक्त, जिला पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात/अपराध, जोधपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी- जोधपुर शहर/लूणी/ओसियां/बिलाड़ा/भोपालगढ।
3. पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., जोधपुर।
4. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
5. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
8. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर।
9. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, जोधपुर
पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जोधपुर